भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5106
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है)

भारत में विदेशी मुद्रा भंडार

5106. डॉ. उमेश जी. जाधवः
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः
श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत छह वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार देश में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है;
(ख) क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार से किसी राशि का उपयोग भुगतान और ऋण चुकाने के लिए किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को चीन, जापान और स्विटजरलैंड के स्तर तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मार्च, 2017 को 369,955 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 23,98,200 करोड़) से बढ़कर 17 मार्च, 2023 को 572,801 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 47,27,502 करोड़) हो गया है।

(ख) विदेशी ऋण सरकार के साथ-साथ निजी संस्थाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है। ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा बाजारों से विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में अभिवृद्धि या कमी पूंजीगत खाते के माध्यम से निवल पूंजी प्रवाह की मात्रा और अर्थव्यवस्था द्वारा ऐसे प्रवाह के अवशोषण पर निर्भर करती है जैसा कि भुगतान संतुलन के चालू खाते पर शेष राशि द्वारा मापा जाता है। यदि पूंजीगत प्रवाह चालू खाता घाटे (सीएडी) द्वारा दर्शाए गए अवशोषक क्षमता से अधिक है, तो अतिरिक्त पूंजी प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी।

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं

i. विदेश व्यापार नीति (2015-20) को दिनांक 31-03-2023 तक बढ़ाया गया।
ii. प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समानता योजना को भी दिनांक 31-03-2024 तक बढ़ा दिया गया है।

iii. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों अर्थात् निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।

iv. श्रमोन्मुखी वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना दिनांक 07.03.2019 से लागू की गई है।

v. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना दिनांक 01.01.2021 से लागू की गई है।

vi. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

vii. विशिष्ट कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाकर सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

viii. निर्यात हब के रूप में प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात के लिए बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार सृजन करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं का समर्थन करके जिलों में इसकी शुरुआत की गई है।

ix. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका बढ़ाई गई है।

x. कोविड महामारी के मद्देनजर विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग का समर्थन करने के लिए पैकेज की घोषणा की गई, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, जो निर्यात में एक प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। इसके अलावा, एफडीआई संबंधी नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है और भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रावधानों को उत्तरोत्तर उदार और सरल बनाया गया है।

******